डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस.

उनवान

प्रकाशचंद पुत्र स्व0 सुआलाल उम्र 72 साल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. ब्रजेन्द्र शर्मा उम्र 45 साल
2. नीतिन शर्मा उम्र 40 साल
   पुत्रान पुरूषोत्तम शर्मा निवासी हटवाडा करौली
3. तहसीलदार, लैण्ड हॉल्डर करौली
4. मनु शर्मा पुत्र बृजेन्द्र शर्मा उम्र 21 साल निवासी हटवाडा करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 188 आरटीएक्ट

मुकदमा नं. 15/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री भरतसिंह, एडवोकेट** मिनजानिब मु रूबरू श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः प्रार्थना पत्र अं 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कि जाता है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदम मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.08.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.11.07 10:31:29
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः–15 / 19 तारीख रजुः–23.04.19

उनवान

प्रकाशचंद पुत्र स्व0 सुआलाल उम्र 72 साल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. ब्रजेन्द्र शर्मा उम्र 45 साल
2. नीतिन शर्मा उम्र 40 साल
   पुत्रान पुरूषोत्तम शर्मा निवासी हटवाडा करौली
3. तहसीलदार, लैण्ड हॉल्डर करौली
4. मनु शर्मा पुत्र बृजेन्द्र शर्मा उम्र 21 साल निवासी हटवाडा करौली

–प्रतिवादीगण

अभिभाषकः–
वादीगणः–श्री भरतसिंह, एडवोकेट
प्रतिवादीगणः–श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट

दावा 188 आरटीएक्ट

–::निर्णय::– दिनांकः–07.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात खसरा नंबर 5393 व 5394 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा करौली हाथीघटा रोड स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने अपनी भूमि की सुरक्षार्थ वर्ष 2009 में पत्थरगढी व सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना तत्कालीन एसडीओ करौली को की गई थी और उसके पश्चात मंजूरी मिलने पर प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण प्रारम्भ करवाया गया। चूकि उस वक्त प्रार्थी की भूमि रिसीवरी में थी और तहसीलदार करौली रिसीवर नियुक्त था। इस कारण प्रार्थी की उक्त भूमि में भू–माफियाओं द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:31:29
Reason: SelfAttested

गलत तरीके से प्रार्थी की भूमि को शामिल करते हुए प्लांटिंग कर दी गई जिसमें कैलाश और उदयभान दो व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2013 में मकानों का निर्माण कर लिया गया। दिनांक 19.11.2013 को वादी की प्रार्थना पर वादी की भूमियों का सीमाज्ञान पटवरी हल्का व गिरदावर द्वारा कराया गया, जिन्होंने खसरा नंबर 5393 व 5394 की भूमि में कैलाश व उदयभान के भूखण्डों का स्थित होना, इसके अतिरिक्त 25x60 फुट का एक भूखण्ड मय दासाबंदी के स्थित होना पाया और उसका इन्द्राज अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट में किया। वर्ष 2016 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के अनुसार प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए और वर्तमान में दोनों ही खसरा नंबर 5393 व 5394 वादी की एकमात्र खातेदारी व कब्जे में स्थित है। वादी द्वारा कैलाशचंद व उदयभान के विरूद्व भी न्यायालय श्रीमान में दावा बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा के मय दर0 अस्थायी निषेधाज्ञा के पेश किये हुए है। जिनमें कैलाश के विरूद्व माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है। दिनांक 19.04.2019 को प्रार्थी का बडी पुत्र मनोज सुबह जब रोड पर से निकलकर जा रहा था तो उसने देखा कि वादी की उक्त खातेदारी की भूमि में जिसे नक्शा नजरी में सी मार्क से दिखाया गया है में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा गोपाल ठेकेदार के जरिए एक जेसीबी व 8–10 मजदूरों के माध्यम से जबरन अवैध अतिक्रमण करने के उद्देश्य से खुदाई कराई जा रही थी तो मनोज ने मौके पर पहंचकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनों से कहा कि यह तो हमारी जमीन है, आप लोग यहां खुदाई क्यों करा रहे हो, तो प्रतिवादीगण दोनों ही ने यह कहा कि यह जमीन 25x60 फुट की हमने तो पैसे देकर खरीदी है और अब हम इस पर दुकान और शेरूम का निर्माण करेंगे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, तो वादी के पुत्र मनोज ने कहा कि यह हमारी खातेदारी की जमीन है, तुम इसमें खुदाई नहीं कर सकते और अगर की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। यह सुनकर प्रतिवादी संख्या 2 ने ऐलानिया कहा कि क्या आप नहीं जानते कि मैं वकील हूं, आप को रिपोर्ट करनी है करो, हम तो निर्माण करके ही मानेंगे। इसके उपरांत मनोज के द्वारा थाना कोतवाली करौली पर रिपोर्ट पेश की किन्तु कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई ना ही मौके पर कार्य को रूकवाया। मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा 25x60 फुट सम्पूर्ण में खुदाई करके अनावश्यक प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी में मदाखलत पैदा की है और खातेदारी की आराजी को नुकसान कारित किया है। इस कारण प्रतिवादीगण लायके पाबंदी है तथा प्रतिवादीगण को काश्त भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.11.07 10:31:29
Reason: SelfAttested

उपयोग करने का अधिकारी नहीं है जब तक की भूमि का संपरिवर्तन न हो जावे। विनाय दावा दिनांक 19.04.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी में जबरन मदाखलत कर खुदाई करने एवं ऐलानिया निर्माण करने की धमकी देने पर अन्दर हकूक अदालत हाजा पैदार हुई। यदि दौराने मुकदमा प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण करा लिया जावे तो उसे स्थाई व्यादेश के जरिये हटवाया जावे एवं बतौर क्षतिपूर्ति 2000 प्रतिमाह उपभोग का और दिलवाये जावे। अन्त में दावा डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी नबंर 1, 2 व 4 ने जबाव दावा पेश कर कथन किया है कि वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 5393 व 5394 वादी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जो आराजीयात सैटलमेंट से पूर्व मंदिर गोविन्द देवजी करौली के खातेदारी व खुदकाश्त की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। जिन आराजीयात के खातेदारी इन्द्राज राजस्व जमाबंदी में दर्ज कर दिये जिन अवैध खातेदारी इन्द्राज का नाजायज लाभ उठाकर वादी एवं दीगर व्यक्ति प्यारेलाल ने उक्त आराजीयात का वयनामा बादामी बेवा रतन से अपने हक में करा लिया और तत्पश्चात वादी ने प्यारेलाल के हिस्से की आराजीयात का वयनामा भी अपने हक में पंजीकृत करा लिया ट्रस्ट मंदिर गोविन्द देवजी को बादामी के हक में हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज की एवं वादी के हक में बादामी द्वारा किये गये अवैध बेचान की जानकारी होने पर मंदिर गोविन्द देवजी की आरे से वादी के विरूद्व दावा घोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया गया जो दावा विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी मंदिर गोविन्द देवजी के खातेदारी की घोषित कर दी गई और राजस्व अपीलीय न्यायालय द्वार भी उक्त डिक्री अपील में बहाल रखी गई सि निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व वादी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश करने पर अपील स्वीकार कर दी गई जिस निर्णय के आधार पर वादी ने उक्त आरजी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई है किन्तु मंदिर गोविन्द देवजी की ओर से राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय के विरूद्व रिट पिटीशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को रहन वय नहीं करने एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत स्थगन वादी के विरूद्व जारीकिया है और मूल रिट पिटीशन वास्ते सुनवाई लंबित है इस प्रकार विधिक स्थिति विवादित आराजीयात की रही है। जिसे वादी ने दावा में छिपाया है। वादी के खातेदारी इन्द्राज अवैध है और वादी का उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:31:29
Reason: SelfAttested

आराजीयात में कोई वैधानिक अधिकार नहीं है वादी उक्त आराजी खसरा नंबर 5393 व 5394 पर केवल अतिक्रमी के रूप में काबिज है जिन आराजीयात की वादी ने पूर्व से ही पुख्ता बाउण्ड्रीवाल मध्य सडक से 50 फुट छोडकर करा रखी है। वाद पत्र का पैरा संख्या 2 गलत है स्वीकार नहीं है वादी ने वर्ष 2009 में आराजी खसरा नंबर 5393 व 5394 का विधि अनुसार सीमाज्ञान कराके उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह निर्धारित कर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात की पुख्ता बाउण्डी वाल तीन तरफ से करा ली जिसमें सडक की ओर की बाउण्ड्री मध्य सडक से 50 फुट छोडकर करायी गई तथा दक्षिण की ओर से आराजी खसरा नंबर 5394 के दिक्षणी सिरे पर करायी गई जिस बाउण्ड्री वाल के होने के पश्चात आराजी खसरा नंबर 5393 व 5394 एवं पडौस की आराजी खसरा नंबर 5395 के मध्य पुख्ता दीवार खडी हो गई और खसरा नंबर 5394 से 5395 में प्रवेश तक समाप्त हो गया। खसरा नंबर 5393 व 5394 की भूमि पर रिसीवर इस कारण से नियुक्त किया गया क्योंकि उक्त आराजी मंदिर गोविन्द देवजी के खातेदारी की है और उक्त आराजीयात का वादी खुर्द बुर्द करने पर उतारू था। यह गलत है कि वादी की उक्त भूमि में भूमाफियों द्वारा गलत तरीके से वादी की भूमि को शामिल करते हुए प्लाटिंग कर दी गई जिसमें जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2013 में मकानों का निर्माण कर लिया गया और वादी का यह कथन भी गलत है कि दिनांक 19.11.2013 को वादी की प्रार्थना पर वादी की भूमियों तक सीमाज्ञान पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा करवाया गया। उदयभान व कैलाशचंद की मकानीयत आराजी खसरा नंबर 5395 में बनी हुई है। उनके मकान निर्माण के समय वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की। दिनांक 19.11.2013 की मौका पचार्य रिपोर्ट वादी व उसके पुत्रों द्वारा तत्कालीन पटवरी हल्का केसरिया व सुल्तान से साज कर बिना किसी आदेश व पडौसियान को सूचित किये फर्जी तरीके से तैयार करा ली। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट लम्बे अर्से तक किसी भी भूखण्डधारी व खसरा नंबर 5395 के खातेदारान की जानकारी में नहीं आने दिया। उक्त [illegible] जमीन की नाम के लिये मुश्तकिल पोईन्ट सड़क [illegible] है उक्त सडक पर कोई निश्चित मुश्तकिल बिन्दु [illegible] रास्ता पर अथवा राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। सडक व पिछले र[illegible] की कोई नाप नहीं लिखी गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार रकबा में भी भिन्नता प्रदर्शित होती है। उक्त रिपोर्ट में उदयभान व कैलाा की मकानीयत की व अन्य भूखण्डों की दासाबंदी व निर्माण काफी पुराने थे इस मौका रिपोर्ट में 25x60 फुट की जो दासाबंदी वर्णित की गई है वह भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:31:29 IST
Reason: SelfAttested

के पुत्र मनु शर्मा का खरीदशुदा भूखण्ड है दावा करते समय वादी का 25/60 फुट की दासाबंदी सहित भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र मनु का है। लेकिन वादी से हम प्रतिवादीगण व मनु शर्मा के विरूद्ध दावा नहीं किया ना ही उक्त भूखण्ड को 5393 व 5394 का हिस्सा बताकर कोई हक जताया अब वादी ने रंजिशवश व अवैध पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2013 का आधार 25x60 का भूखण्ड खसरा नंबर 5395 में स्थित है को खसरा नंबर 5393 व 5394 में बताकर झूठा दावा प्रस्तुत किया है। नक्शा नजरी में मार्क सी भूमि कभी भी वादी के खातेदारी की नहीं है ना ही उक्त मार्क सी भूमि कभी भी वादी के कब्जे की रही है नजरी नक्शा में दर्शित मार्क सी भूखण्ड खसरा नंबर 5395 का हिस्सा जिस भूखण्ड को खसरा नंबर 5395 के खातेदारान अरस्तून वगैरहा के द्वारा गीता देवी पत्नि मदनमोहन शर्मा निवासी करौली को दिनांक 12.12.1993 को विक्रय किया गया जिस भूखण्ड पर खरीददार गीता देवी द्वारा पुख्ता दासाबंदी करायी गई। करीब साडे सात विस्वा भूमि वादी ने सडकी ओर मध्य सडक से 50 फुट छोडकर बाउण्ड्री वाल करते समय बाउण्ड्री के बाहर छोड दी है जो वादी द्वारा सिविल न्यायाधीश करौली में प्रस्तुत दावा उनवानी प्रकाश बनाम सुशील वगैरहा में न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में स्वीकृत तथ्य है। वादी मिथ्या अवैध तरीके से तैयार करायी की मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 5395 की भूमि को हडपना चाहता है। सिविल न्यायाधीश करौली द्वारा उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट को विश्वसनीय एवं विधि पूर्ण नहीं माना और वादी द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किया गया है। वादी द्वारा थाना कोतवाली करौली में यदि कोई रिपोर्ट पेश की हो कार्यवाही होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि उक्त भूखण्ड पर वादी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी आराजी में कोई मदाखलत नहीं की ना ही कोई ऐसा इरादा है। वादी अपनी खातेदारी की भूमि की बाउण्ड्री वाल कराके उस पर काबिज है और उक्त 25x60 फुट का भूखण्ड वादी की भूमि खसर नंबर 5394 के दक्षिणी सिरे से करीब 45 फुट की दूरी पर खसरा नंबर 5395 मे स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कराया जा रहा है जिसको रोकने का वादी को कोई अधिकार नहीं है वादी का इस मद में यह कथन पूर्णतः गलत है कि प्रतिवादी द्वारा 25x60 फुट वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में मदाख्लत पैदा की है और खातेदारी की आराजी को नुकसान कारित किया है। वादी प्रतिवादीगण को किसी भी दशा में पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। खसरा नंबर 5395 की भूमि से वादी को कोई संबंध नहीं है संपरिवर्तन के संबंध में वादी इस दावा

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem F
Date: 2025.11.07 10:31:2
Reason: SelfAttested

से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त 25x60 फुट का भूखण्ड आराजी खसरा नंबर 5393 व 5394 की भूमि का हिस्सा नहीं है। वादी ने इस दावा में जिस भूखण्ड को विवादित बताया है वह खसरा नंबर 5395 का हिस्सा है जिस पर वादी का कब्जा नहीं रहा है। वादी को कोई वादकारण खसरा नंबर 5395 की भूमि के किसी भी हिस्से के संबंध में पैदा नहीं होता है। वादी खसरा नंबर 5395 में किसी भी निर्माण को हटवाने का अधिकारी नहीं है ना ही कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित आराजी खरा नंबर 5393 व 5394 लम्ब अर्से से काश्त नहीं होती है और वादी ने उक्त आराजी कभी काश्त नहीं की है तथा उक्त आराजी के चारों ओर आबादी विकसित हो चुकी है और स्वंय वादी ने उक्त आराजी खसरा नंबर 5393 व 5394 के संबंध में राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार होना नहीं मानकर एक दावा उनवानी प्रकाश बनाम सुशील वगैरहा सिविल न्यायाधीश करौली के न्यायालय में प्रस्तुत किया है और वादी अपनी सुविधा अनुसार आराजी के संबंध में क्षेत्राधिकार को भिन्न–भिन्न न्यायालय का बताने का अधिकारी नहीं है। न्यायालय श्रीमानजी को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है और दावा वादी इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। अन्त में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी प्रतिवादीगण ने यह आवेदन इस आशय का पेश किया है कि वादी द्वारा बताया गया निर्माण भू प्रबंध अधिकारी टोंक व भरतपुर की टीम द्वारा खसरा नंबर 5393, 5394 का सीमांकन ईटीएस मशीन से किया जाकर मौका रिपोर्ट मय सुरप इम्पोज नक्शा तैयार की गई जिसमें प्रतिवादीगण का निर्माण भू–खण्ड मार्क सी खसरा नंबर 5393 व 5394 में नहीं होना पाया गया है। इसलिए दावा वादी वादकरण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 (ए) सीपीसी के तहत इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अप्रार्थी वादी ने प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि भू–प्रबंध अधिकारी भरतपुर द्वारा सीमांज्ञान की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। कार्यवाही लम्बित है प्रतिवादीगण का भू–खण्ड निर्माण खसरा नंबर 5395 में स्थित हो इस बाबत कोई स्पष्ट अभिलेख या दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है। इसलिए प्रकरण का निर्णय साक्ष्य के वाद होना है और इस स्टेज पर प्रकरण को तय नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान प्रतिवादीगण खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:31:29
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, भू–प्रबंध अधिकारी टोंक व भरतपुर का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादी का निर्माण खसरा नंबर 5393 व 5394 में नहीं होना बताया है एवं खसरा नंबर 5394 की दक्षिणी सिरे पर बाउण्ड्री वॉल पुख्ता होना रिपोर्ट में बताया है। इस प्रकार वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने का वादकारण उत्पन्न नहीं होना प्रकट होता है। दावा वादी वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वादकारण अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:31:29 IST
Reason: SelfAttested